Result Mitra Daily Magazine

मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान ने हिजाब (बुर्के) पर लगाया बैन

- राष्ट्रपति इमोमाली रहमान की सरकार ने हिजाब को 'विदेशी परिधान' करार दिया।
- ताजिकिस्तान की संसद के उच्च सदन 'मजलिसी मिल्ली' में विधेयक को मंजूरी प्राप्त
- नए कानून को तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान -
- नागरिकों द्वारा कानून तोड़ने पर 7920 सोमोनी यानी 62,172 भारतीय रुपया
- कानूनी संस्थानों पर 39,500 सोमोनी यानी ₹ 3.10 लाख
- सरकारी अधिकारियों और धार्मिक अधिकारियों पर दोष सिद्ध होने पर 54000 सोमोनी यानी ₹ 4.52 लाख तक का जुर्माना

महत्वपूर्ण बिंदु -

- विधेयक 19 जून को पारित
- ईद-उतर-फितर और ईद-उल-अजहा के दौरान भी विदेशी परिधान के प्रयोज पर रोक

हिजाब पर सख्ती 2007 से प्रारंभ -

- ताजिक शिक्षा मंत्रालय ने 2007 से ही छात्रों के इस्लामी कपड़ों तथा पश्चिमी सभ्यता की सूचक मिनी स्कर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था।

Result Mitra

- बाद में इस प्रतिबंध को सभी सार्वजनिक स्थानों पर लागू कर दिया गया।

NOTE - मध्य एशिया के मुस्लिम बहुल देश कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान और कोसोवो भी स्कूल विश्वविद्यालय और सरकारी दफ्तरों में हिजाब और बुर्का को प्रतिबंधित कर चुके हैं।

हिजाब पर बैन क्यों?

- राष्ट्रपति इमोमाली रहमान का मानना कि हिजाब खराब शिक्षा और असभ्यता का प्रमाण है।
- वह हिजाब को देश की संस्कृति विरासत के लिए खतरा और विदेशी प्रभाव मानते हैं।
- ताजिकिस्तान एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र

अन्य प्रतिबंध -

- ईद की परंपरा ईदी पर भी प्रतिबंध
- कारण बच्चों की उचित शिक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना
- देश में पुरुषों द्वारा लंबी दाढ़ी पर भी प्रतिबंध (अनौपचारिक रूप से)
- शादी समारोह व अंत्येष्टि भोज पर भी रोक
- इस्लामिक किताबों के बेचने पर भी प्रतिबंध

Result Mitra